R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 9
मार्च 2016

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमों में संशोधन किया

मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2016 को बैंकों की विनियामकीय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजन से तुलन पत्र की कतिपय मदों के लेखांकन में कुछ संशोधन किए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी और अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए बासेल III पूंजी मानकों के साथ विनियामकीय पूंजी निर्धारण के संरेखन की दृष्टि से यह समीक्षा की गई है। संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों का लेखांकन

बैंक की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप इसकी कैरिंग राशि में बदलाव होने से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन टीयर 2 पूंजी की बजाय 55 प्रतिशत की कटौती पर सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1) के रूप में माना जाएगा:

- बैंक अपनी इच्छा से तुरंत संपत्ति की बिक्री कर सकेगा और संपत्ति की बिक्री करने में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी,
- पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को अनुसूची 2: बैंक के तुलन पत्र में आरक्षित निधियां और अधिशेष में दिखाया गया है,
- पुनर्मूल्यांकन यथार्थवादी है और भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है,
- प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से पुनर्मूल्यांकन कराया जाता है जहां संपत्ति का मूल्य किसी भी घटना से काफी हद तक क्षीण हो गया हो, इनका तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे उचित रूप से पूंजी पर्याप्तता परिकलन में शामिल किया जाता है,
- बैंक के बाह्य लेखापरीक्षकों ने संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर कुशल राय व्यक्त नहीं की है।

विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधियां

बैंक के विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों का रिपोर्टिंग करेंसी में अंतरण के कारण उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधियों (एफसीटीआर) को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन 25 प्रतिशत कटौती पर सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जाएगा:

- एफसीटीआर अनुसूची 2 : बैंक के तुलन पत्र में आरक्षित निधियां और अधिशेष में दिखाए गए हैं,
- बैंक के बाह्य लेखापरीक्षकों ने एफसीटीआर पर कुशल राय व्यक्त नहीं की है।

आस्थगित कर आस्तियों का लेखांकन

(i) संचित हानि के साथ जुड़ी आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) और ऐसी अन्य आस्तियों को सीईटी1 पूंजी से पूर्ण रूप से काटा जाए।

(ii) समय-अंतरालों के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों (जो संचित हानियों से संबंधित नहीं हैं) को बैंकों के विवेक पर बैंक की सीईटी1 पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जा सकता है।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। (http://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10294&Mode=0)

जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने 3 मार्च 2016 को जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में मास्टर निदेश जारी किए। जबकि जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश उन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) पर लागू हैं जो रुपया और विदेशी मुद्रा में जमाराशियां स्वीकार करते हैं, अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) पर लागू हैं जो अपने ग्राहकों को रुपया और विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रदान करते हैं।

(i) अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश http://www.rbi.org.in/Scripts/BS ViewMasDirections.aspx?id=10295

(ii) जमाराशियों पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश (http:/www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10296&Mode=0)

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग विनियमन
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमों में संशोधन किया 1
- जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें 1
- चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी अनुदेशों में संशोधन 2

विदेशी मुद्रा प्रबंधन
- निःशुल्क आधार पर माल के निर्यात के लिए ईडीएफ माफी 2

भुगतान और निपटान प्रणाली
- अकस्मात् (वॉक-इन) ग्राहकों के एनईएफटी लेनदेनों संबंधी आंकड़े 2
- कार्ड स्वीकृति की बुनियादी संरचना पर संकल्पनात्मक पत्र 2
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजिटोरी 2

वित्तीय समावेशन और विकास
- एमएसएमई के पुनर्जीवन और पुनर्वास का ढांचा 3
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 3

गैर बैंकिंग विनियमन
- सरकारी कर्ज के लिए निर्धारित जोखिम भारों में संशोधन 3

सहकारी बैंकिंग
- राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड 3

वित्तीय बाज़ार विनियमन
- करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता 3

सरकारी बैंकिंग
- बेशी पेंशन भुगतानों की वसूली 4

रिपोर्टें
- वित्तीय उत्पादों के वितरण में प्रोत्साहनों पर सिफारिश 4

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2016 से सभी विनियामकीय मामलों पर मास्टर निदेश जारी करना शुरू कर दिया है जिससे कि 29 सितंबर 2015 को घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अनुपालन को सरल बनाया जा सके। मास्टर निदेशों में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग मुद्दों और विदेशी मुद्रा लेनदेन सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत नियमों और विनियमों पर बनाए गए अनुदेशों को समेकित किया जाता है। मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में प्रत्येक विषय के लिए एक मास्टर निदेश जारी करना शामिल है जिसमें उस विषय पर सभी अनुदेश कवर किए जाते हैं। नियमों, विनियमन या नीति में वर्ष के दौरान होने वाले किसी प्रकार के बदलाव की सूचना परिपत्रों/प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से दी जाती है। मास्टर निदेशों को उचित रूप से और साथ-साथ अद्यतन किया जाएगा जब भी नियमों/विनियमन में कोई बदलाव होता है या नीति में कोई बदलाव होता है। मास्टर निदेश जारी होने के बाद नियमों और विनियमों पर स्पष्टीकरण आवश्यक होने पर आसान भाषा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के माध्यम से जारी किया जाएगा। इस मास्टर निदेश के जारी होने के साथ ही सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त माने जाएंगे।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी अनुदेशों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने हाल की गतिविधियों, स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक तथा प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए बासेल-।।। के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन के मापन संबंधी कतिपय अनुदेशों में 23 मार्च 2016 को संशोधन किया। कुछ संशोधित मानदंड नीचे दर्शाए गए हैं :

- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) निगरानी अपेक्षा युक्त संरचनागत चलनिधि (एसएलएस) विवरण से संबंधित विवरणों में समय बकेटों में संशोधन किया गया है;
- एलसीआर निगरानी अपेक्षा युक्त गतिशील चलनिधि विवरण में समय बकेटों में संशोधन किया गया है;
- स्तर-2बी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आस्तियों के अलावा, 01 फरवरी 2016 से कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियों (जिनमें वाणिज्यिक पत्र भी शामिल है) को भी स्तर-2बी उच्च गुणवत्ता चलनिधि (एचक्यूएलए) के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है, बशर्ते 50 प्रतिशत का हेयरकट हो और प्रतिभूतियां एचक्यूएलए की दृष्टि से सामान्य मूलभूत व बाज़ार संबंधी स्वरूप की हों तथा कतिपय शर्तों की पूर्ति की जाती हो;
- सामान्यतः बैंक ग्राहकों की जमाराशि पर ऋण देते हैं। यदि जमाराशि किसी ऐसी ऋण सुविधा पाने या बैंक द्वारा दिए गए ऐसे ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में संविदागत रूप से बैंक के पास गिरवी रखी गई हो, जिनकी परिपक्वता या निपटान अगले 30 दिनों में नहीं होने वाला है, तो बैंक इस प्रकार गिरवी रखी गई जमाराशि को एलसीआर के परिकलन, अर्थात बहिर्वाह, में शामिल नहीं कर सकते हैं। यह कतिपय शर्तों के अधीन है।
- विदेशी बैंकों की शाखाओं को सिग्निफिकंट करेंसी द्वारा एलसीआर से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी गई है, क्योंकि वे किसी विदेशी मुद्रा एचक्यूएलए का धारण नहीं करती हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10309&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

निःशुल्क आधार पर माल के निर्यात के लिए ईडीएफ माफी

रिज़र्व बैंक ने 03 मार्च 2016 को श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को सूचित किया कि वे संशोधित मानदंड पर आधारित निःशुल्क माल के निर्यात के संबंध में निर्यात घोषणा फार्म (ईडीएफ) माफी हेतु स्टेटस होल्डर निर्यातकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करें। भारत सरकार ने पूर्व में इस मानदंड में संशोधन किया था और यह अधिसूचित किया था कि स्टेटस होल्डर निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधारित निर्यात-योग्य मदों के मुक्त रूप से निर्यात करने हेतु हकदार होंगे, बशर्ते यह पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान ₹10 लाख की वार्षिक सीमा या औसत वार्षिक निर्यात उगाही के 2 प्रतिशत, जो भी कम हो, के अधीन हो। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=10297&Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

अकस्मात् (वॉक-इन) ग्राहकों के एनईएफटी लेनदेनों संबंधी आंकड़े

दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही से सदस्य बैंकों को अकस्मात् ग्राहकों (जिन्होंने बैंक में कोई खाता नहीं रखा है) द्वारा किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेनदेनों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यकता पड़े तो रिज़र्व बैंक अकस्मात् ग्राहकों द्वारा किए गए एनईएफटी लेनदेनों से संबंधित आंकड़े की मांग कर सकता है। अतः बैंक अपने यहां ऐसे आंकड़े रखना जारी रखें। (https://rbi.org.in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10302&Mode=0)

कार्ड स्वीकृति की बुनियादी संरचना पर संकल्पनात्मक पत्र

रिज़र्व बैंक ने 08 मार्च 2016 को कार्ड स्वीकृति की बुनियादी संरचना संबंधी संकल्पनात्मक पत्र अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। इस संबंध में अपनी राय 15 अप्रैल 2016 तक cardspaper@rbi.org.in को ई-मेल के माध्यम से या मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 को डाक द्वारा भेजी जा सकती है। स्टेकहोल्डरों के साथ किए गए विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस संकल्पनात्मक पत्र को मूर्त रूप दिया गया है। इस पत्र में कार्ड स्वीकृति की बुनियादी संरचना के विस्तार के साथ-साथ व्यापारी छूट दर (एमडीआर) के युक्ति-संगतिकरण के मुद्दे को दूर करने के कार्यनीतिक विकल्पों पर प्रकाश डाला गया है। इसका उद्देश्य कार्ड भुगतानों की स्वीकृति तथा उसकी बुनियादी संरचना के अभिनियोजन के मार्ग में आने वाली संगत समस्याओं की सर्वांगीण जांच करना है ताकि कार्ड स्वीकृति में निरंतर व त्वरित वृद्धि हासिल की जा सके। (https://www. rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=36427)

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजिटोरी

भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में मई 2017 में अधिसूचित संशोधनों के बाद ट्रेड रिपोजिटोरी को इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) ओटीसी ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा संविदाओं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित की जाती हों, के लिए पीएसएस अधिनियम की धारा 34 (2) के अंतर्गत नामित ट्रेड रिपोजिटोरी होगा। पीएसएस अधिनियम के प्रावधान नामित ट्रेड रिपोजिटोरी पर उस हद तक लागू होंगे जैसा कि वे भुगतान प्रणालियों पर, या उनके संबंध में लागू होते हों।

एक वित्तीय बाज़ार बुनियादी ढांचा (एफएमआई) होने के नाते ट्रेड रिपोजिटोरी का विनियमन व पर्यवेक्षण ''भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ार बुनियादी ढांचों के विनियमन और पर्यवेक्षण'' संबंधी नीति ढांचे के अनुसार होगा।

पृष्ठभूमि

24-25 सितंबर 2009 के पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन की जी-20 घोषणा में ट्रेड रिपोजिटोरी को ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग सहित ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाज़ारों में सुधार लाने से संबंधित कई सुधारात्मक उपायों का उल्लेख किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में ओटीसी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों का विनियामक होने के नाते जी-20 प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ''ट्रेड रिपोजिटोरी को ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेडों की रिपोर्टिंग संबंधी जी-20 प्रतिबद्धता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुपालन'' पर 15 जनवरी 2014 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=36567)

वित्तीय समावेशन और विकास

एमएसएमई के पुनर्जीवन और पुनर्वास का ढांचा

रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्श करके 17 मार्च 2016 को ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्जीवन और पुनर्वास का संशोधित ढांचा'' परिचालनात्मक अनुदेशों के साथ-साथ तैयार किया है। इसका उद्देश्य उक्त ढांचे और परिचालनात्मक अनुदेशों को रिज़र्व बैंक द्वारा 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' के संबंध में जारी किए गए मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के साथ सुसंगत बनाना है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे इस ढांचे का परिचालन करने के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति 30 जून 2016 तक तैयार करें।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण के विवेकपूर्ण मानदंड आईआरएसी मानदंडों से संबंधित दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में संकलित अनुदेशों तथा उसमें समय-समय पर किए जाने वाले अद्यतन के अनुसार जारी रहेंगे। वहीं, ₹25 करोड़ तक की ऋण सीमाओं वाले एमएसएमई का पुनर्जीवन व पुनर्वास इन परिचालनात्मक अनुदेशों के अनुसार होगा। ₹25 करोड़ से अधिक राशि के एक्सपोज़र वाले ऋण खातों की पुनर्संरचना का नियंत्रण कंपनी कर्ज पुनर्रचना (सीडीआर)/संयुक्त उधारदातों मंच (जेएलएफ) तंत्र के माध्यम से किया जाना जारी रहेगा। (https://www.rbi.org. in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10304&Mode=0)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को वाणिज्यिक बैंकों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की सूचना दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। (https://www.rbi.org.in/ Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10305&Mode=0)

गैर बैंकिंग विनियमन

सरकारी कर्ज के लिए निर्धारित जोखिम भारों में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2016 को जमाराशि स्वीकारने वाली सभी एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी, सभी एनबीएफसी-एमएफआई तथा सभी एनबीएफसी-आईएफसी को देशी सॉवरिनों से संबंधित एक्सपोज़रों के लिए निर्धारित जोखिम भारों में संशोधन निम्नानुसार सूचित किया :

क) केंद्र सरकार से संबंधित एक्सपोज़र

i. केंद्र सरकार पर निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित दावों के लिए शून्य जोखिम भार होगा।

ii. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों के लिए शून्य जोखिम भार होगा।

ख) राज्य सरकार से संबंधित एक्पोज़र

i. राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष ऋण/क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र के लिए शून्य जोखिम भार होगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों, जो चूक की कोटि में नहीं रह गए हों, के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार होगा। तथापि, यदि राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण 90 दिन से अधिक अवधि के लिए चूक की कोटि में रह जाए तो ऐसे मामले में 100 प्रतिशत का जोखिम भार निर्धारित किया जाना चाहिए।

इससे पहले जमाराशि स्वीकारने वाली सभी एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी, सभी एनबीएफसी-एमएफआई तथा सभी एनबीएफसी-आईएफसी को टियर। और टियर-।। पूंजी युक्त एक न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखना चाहिए, जो कि तुलन-पत्र पर कुल जोखिम भारित आस्तियों तथा तुलन-पत्रेतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम न होगा। (https:// www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10301&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग

राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2016 को राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को टियर-। पूंजी के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को शामिल किया :

i. सह/नाममात्र के सदस्यों से प्राप्त अंशदान, जहां उप-विधियों में ऐसे सदस्यों को शेयरों के आबंटन की अनुमति दी गई हो तथा बशर्ते इन शेयरों के आहरण पर ऐसे प्रतिबंध लागू होंगे जो नियमित सदस्यों पर लागू होते हों।

ii. नाममात्र के तथा सह सदस्यों से वसूले गए अंशदान/वापिस न करने योग्य प्रवेश शुल्क, जिन्हें वापिस करने योग्य न होने के कारण समुचित शीर्ष के अंतर्गत 'आरक्षित निधि' के रूप में अलग से धारित किया जाता है।

iii. यदि बैंक ने इस आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया हो तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व में बकाया राशि। (https://www.rbi.org in/Scripts/ NotificationUser.aspx?Id=10300&Mode=0)

वित्तीय बाज़ार विनियमन

करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में ट्रेड की जाने वाली करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति दी:

पात्रता:

- करेंसी फ्यूचर्स के लिए एक्सपोज़र प्राथमिक व्यापारियों के लिए गैर-कोर कार्यकलाप माना जाएगा और उन्हीं प्राथमिक व्यापारियों को करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता करने की अनुमति दी जाएगी जो कम से कम ₹250 करोड़ की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) या यह कार्यकलाप करने के लिए निर्धारित राशि रखते हैं।

- जैसाकि पूंजी पर्याप्तता मानकों पर मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्धारित है, नॉन-कोर कार्यकलापों जिनमें पूंजी के खर्च होने की संभावना है (करेंसी फ्यूचर्स सहित), के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एनओएफ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सदस्यता:

- प्राथमिक व्यापारियों को ग्राहकों या सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक बाज़ारों के करेंसी डेरिवेटिव खंड के सीधी ट्रेडिंग/समाशोधन सदस्यों के रूप में करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में भाग लेने की अनुमति है।

- प्राथमिक व्यापारी केवल अपने स्वयं के खाते पर ट्रेड कर सकते हैं और उन्हें ग्राहकों की तरफ से पोजिशन्स लेने की अनुमति नहीं है।

पोजिशन सीमाएं:

- प्राथमिक व्यापारियो को अनुमति है कि वे शेयर बाज़ारों द्वारा विनिर्दिष्ट पोजिशन सीमाओं के अधीन अंतर्निहित एक्सपोज़र के साथ या उसके बिना करेंसी फ्यूचर्स बाज़ार में दीर्घ और लघु पोजिशन ले सकते हैं। तथापि, संबंधित करेंसी जोड़ों में सभी स्टॉक बाज़ारों में सभी संविदाओं में समग्र सकल खुली पोजिशन नीचे उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी:

करेंसी जोड़े	पोजिशन सीमाएं
यूएसडी-आईएनआर	सभी संविदाओं में सकल ओपन पोजिशन कुल ओपन इंट्रेस्ट के 15 प्रतिशत से अधिक या 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी अधिक हो।
यूरो-आईएनआर	सभी संविदाओं में सकल ओपन पोजिशन कुल ओपन इंट्रेस्ट के 15 प्रतिशत से अधिक या 25 मिलियन यूरो से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी अधिक हो।
जीबीपी-आईएनआर	सभी संविदाओं में सकल ओपन पजिशन कुल ओपन इंट्रेस्ट के 15 प्रतिशत से अधिक या 25 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी अधिक हो।
जेपीवाई-आईएनआर	सभी संविदाओं में सकल ओपन पजिशन कुल ओपन इंट्रेस्ट के 15 प्रतिशत से अधिक या 1000 मिलियन जापानी येन से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी अधिक हो।

जोखिम प्रबंध :

- प्राथमिक व्यापारी जोखिम प्रबंध पर विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करें जिसमें यह कार्य करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन से एक्सपोज़र, जोखिम सीमाएं और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं तथा जोखिमों का प्रबंध शामिल हो।
- प्राथमिक व्यापारी उपर्युक्त निर्धारित पोजिशन सीमाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली शुरूकरें।
- प्राथमिक व्यापारी करेंसी फ्यूचर्स में सहभागिता के लिए प्रणालियों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधा और जनसाधन बनाए रखें।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप कारोबार की देयताओं को पूरा न कर पाने या अन्य किसी उल्लंघन जिससे पर्यवेक्षी समस्या उत्पन्न होती है, की स्थिति में रिज़र्व बैंक के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं में कारोबार करने के लिए प्रतिबंध लगा सके या अनुमति वापस ले सके। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10306&Mode=0)

सरकारी बैंकिंग

बेशी पेंशन भुगतानों की वसूली

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को लेखा महानियंत्रक और विभिन्न गैर-नागरिक वसूली मंत्रालयों के परामर्श से बार-बार बेशी/गलत पेंशन भुगतानों की वसूली के लिए एकसमान प्रक्रिया के बारे में कहा है जो इस प्रकार है:

- जैसे ही किसी पेंशनभोगी को बेशी/गलत भुगतान करने के संबंध में भुगतानकर्ता बैंक को सूचना मिलती है, वैसे ही शाखा उस राशि को पेंशनभोगी के खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि के साथ समायोजित करे। इसमें एकमुश्त बकाया (एरियर) भुगतान भी शामिल होगा।
- यदि खाते से अतिरिक्त भुगतान की संपूर्ण राशि को समायोजित नहीं किया जा सकता हो तो पेंशनभोगी से कहा जाए कि वह अविलंब अतिरिक्त भुगतान की शेषराशि का भुगतान करे।
- यदि पेंशनभोगी इस राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो इस राशि को भविष्य में पेंशनभोगी को भुगतान की जाने वाली पेंशन से समायोजित किया जा सकता है। पेंशनभोगी को किए गए अतिरिक्त भुगतान को उसके भविष्य के पेंशन भुगतानों में से किश्तों में वसूल करने के लिए प्रत्येक माह देय निवल (पेंशन+राहत) का 1/3 वसूल किया जा सकता है जब तक संबंधित पेंशनभोगी इससे उच्च किश्त राशि का भुगतान करने के लिए लिखित में अपनी सहमति नहीं दे।
- यदि पेंशनभोगी की मृत्यु या पेंशन बंद होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है तो इस योजना के तहत पंशनभोगी द्वारा दिए गए वचनपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाए।
- पेंशनभोगी को अतिरिक्त भुगतान/गलत भुगतान और इसकी वसूली की पद्धति के ब्यौरों के बारे में भी सूचित किया जाए। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10303&Mode=0)

रिपोर्टें

वित्तीय उत्पादों के वितरण में प्रोत्साहनों पर सिफारिश

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय उत्पादों में दुर्विक्रय को रोकने तथा वितरण प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने संबंधी समिति की सिफारिशें 4 मार्च 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डालीं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वित्तीय उत्पादों के वितरण में प्रोत्साहन संरचना पर अनेक सिफारिशें की थीं। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (http://finmin.nic.in/suggestion_ comments/Inviting_Comments_Committee_Incentive_Structure.asp)

मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू से संबंधित स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम,	: अल्पना किल्लावाला
	राष्ट्रीयता तथा पता	: भारतीय
		: भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001

मैं, अल्पना किल्लावाला इसके द्वारा घोषणा करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

(ह/-)
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च, 2016

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**